

प्रेषक,

अजीत कुमार,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ०प्र०,

लखनऊ।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 10 जून, 2022

विषय:-वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु स्वीकृत बजट के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या-50/2022/1/155262/2022/001-65-2002-002-2-2022-2 दिनांक 11 अप्रैल, 2022, का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में लेखानुदान के दृष्टिगत एक तिहाई (4/12वां) भाग की स्वीकृति आपके निवर्तन पर रखी गयी है।

2. वित्तीय वर्ष 2022-23 के अन्तिम बजट से संबंधित उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2022 के प्राधिकृत हो जाने के फलस्वरूप वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07.06.2022 द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के अन्तिम बजट से स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने तथा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने संबंधी दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, जिसमें निर्देश हैं कि वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करते समय लेखानुदान अवधि के लिये जारी की गयी वित्तीय स्वीकृतियों की धनराशि को घटाने/समायोजित करने के उपरान्त वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

3. अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु शासनादेश संख्या-50/2022/1/155262/2022/001-65-2002-002-2-2022-2 दिनांक 11 अप्रैल, 2022 द्वारा आपके निवर्तन पर लेखानुदान के दृष्टिगत रखी गयी एक तिहाई स्वीकृतियों को वित्तीय वर्ष 2022-23 के अन्तिम बजट प्रावधान में से घटाते हुये तथा 20-शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल योजना मद से संबंधित बजट प्रावधान को सम्मिलित करते हुये चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में निम्नानुसार मदवार/योजनावार अनुदान संख्या-79 के लेखाशीर्ष-2235 के अन्तर्गत कुल रू० 94111.88 लाख (रूपये नौ अरब इकतालिस करोड़ ग्यारह लाख अठ्ठासी हजार मात्र) तथा अनुदान

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-81 के लेखाशीर्ष-2235 के अन्तर्गत कुल रू0 1.33 लाख (रूपये एक लाख तैंतीस हजार मात्र) और अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्ष-2235 के अन्तर्गत कुल रू0 760.00 लाख (रूपये सात करोड़ साठ लाख मात्र) की धनराशि (कॉलम-5 में) व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रस्तर-4 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

अनुदान संख्या-79

(धनराशि रू0 लाख

में)

| क्र.सं. | मद का नाम | बजट प्रावधान 2022-23 | लेखानुदान के दृष्टिगत शासनादेश दिनांक 11.04.2022 द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि | बजट प्रावधान के सापेक्ष निर्गत की जा रही अवशेष धनराशि |
|---------|--|-------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | लेखाशीर्ष (13 अंको में) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-03-मुख्यालय/मण्डलीय/जिला कार्यालयों का अधिष्ठान (2235 02 101 03 00) | | | |
| | 01-वेतन | 1604.66 | 534.89 | 1069.77 |
| | 02-मजदूरी | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
| | 03-मँहगाई भत्ता | 593.72 | 197.91 | 395.81 |
| | 04-यात्रा व्यय | 11.00 | 3.67 | 7.33 |
| | 05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय | 6.00 | 2.00 | 4.00 |
| | 06-अन्य भत्ते | 5.51 | 1.84 | 3.67 |
| | 07-मानदेय | 0.20 | 0.07 | 0.13 |
| | 08-कार्यालय व्यय | 40.00 | 13.33 | 26.67 |
| | 09-विद्युत देय | 55.00 | 18.33 | 36.67 |
| | 10-जलकर/जलप्रभार | 1.00 | 0.33 | 0.67 |
| | 11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई | 25.00 | 8.33 | 16.67 |
| | 12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 20.00 | 6.67 | 13.33 |
| | 13-टेलीफोन पर व्यय | 10.00 | 3.33 | 6.67 |
| | 15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद | 175.00 | 58.33 | 116.67 |

- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

| | | | | |
|---|---|---------|---------|---------|
| | 16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान | 8.00 | 2.67 | 5.33 |
| | 17-किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व | 20.00 | 6.67 | 13.33 |
| | 18-प्रकाशन | 2.00 | 0.67 | 1.33 |
| | 19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय | 1.00 | 0.33 | 0.67 |
| | 22-आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि | 0.80 | 0.27 | 0.53 |
| | 29-अनुरक्षण | 2.00 | 0.67 | 1.33 |
| | 42-अन्य व्यय | 3.00 | 1.00 | 2.00 |
| | 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा व्यय एवं अन्य प्रासंगिक व्यय | 1.00 | 0.33 | 0.67 |
| | 45-अवकाश यात्रा व्यय | 1.00 | 0.33 | 0.67 |
| | 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय | 15.00 | 5.00 | 10.00 |
| | 47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय | 25.00 | 8.33 | 16.67 |
| | 49-चिकित्सा व्यय | 25.00 | 8.33 | 16.67 |
| | 51-वर्दी व्यय | 0.50 | 0.17 | 0.33 |
| | 55-मकान किराया भत्ता | 116.02 | 38.67 | 77.35 |
| | 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान | 210.00 | 70.00 | 140.00 |
| | योग 03 | 3027.41 | 1009.14 | 2018.27 |
| 2 | लेखाशीर्ष (13 अंको में) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-04-विभिन्न श्रेणी के दिव्यांगों के लिये आश्रित कर्मशालाएं व प्रशिक्षण केन्द्र (2235 02 101 04 00) | | | |
| | 01-वेतन | 126.53 | 42.18 | 84.35 |
| | 02-मजदूरी | 1.60 | 0.53 | 1.07 |
| | 03-मँहगाई भत्ता | 46.82 | 15.61 | 31.21 |
| | 04-यात्रा व्यय | 0.35 | 0.12 | 0.23 |
| | 05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय | 0.50 | 0.17 | 0.33 |
| | 06-अन्य भत्ते | 2.31 | 0.77 | 1.54 |
| | 07-मानदेय | 1.00 | 0.33 | 0.67 |
| | 08-कार्यालय व्यय | 1.25 | 0.42 | 0.83 |
| | 09-विद्युत देय | 3.00 | 1.00 | 2.00 |
| | 10-जलकर/जल प्रभार | 0.10 | 0.03 | 0.07 |

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

| | | | | |
|---|---|---------|---------|---------|
| | 11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई | 1.00 | 0.33 | 0.67 |
| | 12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 1.25 | 0.42 | 0.83 |
| | 13-टेलीफोन पर व्यय | 1.00 | 0.33 | 0.67 |
| | 16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान | 0.10 | 0.03 | 0.07 |
| | 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र | 7.00 | 2.33 | 4.67 |
| | 29-अनुरक्षण | 10.00 | 3.33 | 6.67 |
| | 39-औषधि तथा रसायन | 0.70 | 0.23 | 0.47 |
| | 41-भोजन व्यय | 5.00 | 1.67 | 3.33 |
| | 42-अन्य व्यय | 2.00 | 0.67 | 1.33 |
| | 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति | 7.00 | 2.33 | 4.67 |
| | 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासांगिक व्यय | 0.20 | 0.07 | 0.13 |
| | 45-अवकाश यात्रा व्यय | 0.50 | 0.17 | 0.33 |
| | 47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बंधी स्टेशनरी का क्रय | 1.50 | 0.50 | 1.00 |
| | 49-चिकित्सा व्यय | 1.50 | 0.50 | 1.00 |
| | 51-वर्दी व्यय | 0.08 | 0.03 | 0.05 |
| | 55-मकान किराया भत्ता | 9.26 | 3.09 | 6.17 |
| | 58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान | 2.00 | 0.67 | 1.33 |
| | योग 04 | 233.55 | 77.86 | 155.69 |
| 3 | लेखाशीर्ष (13 अंको में) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-05-शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग, श्रवण सहायक यन्त्र आदि खरीदने के लिये सहायता (2235 02 101 05 00) | | | |
| | 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) | 3500.00 | 1166.67 | 2333.33 |
| 4 | लेखाशीर्ष (13 अंको में) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-06-मानसिक मंदित विकलांगजन हेतु आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र (2235 02 101 06 00) | | | |
| | 01-वेतन | 4.12 | 1.37 | 2.75 |
| | 02-मजदूरी | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| | 03-मंहगाई भत्ता | 1.52 | 0.51 | 1.01 |
| | 04-यात्रा व्यय | 0.15 | 0.05 | 0.10 |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

| | | | | |
|---|--|---------------|--------------|---------------|
| | 06-अन्य भत्ते | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| | 08-कार्यालय व्यय | 2.00 | 0.67 | 1.33 |
| | 09-विद्युत देय | 8.00 | 2.67 | 5.33 |
| | 10-जलकर/जल प्रभार | 1.00 | 0.33 | 0.67 |
| | 11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई | 0.60 | 0.20 | 0.40 |
| | 12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 6.00 | 2.00 | 4.00 |
| | 39-औषधि तथा रसायन | 3.00 | 1.00 | 2.00 |
| | 41-भोजन व्यय | 30.00 | 10.00 | 20.00 |
| | 42-अन्य व्यय | 3.00 | 1.00 | 2.00 |
| | 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति | 8.00 | 2.67 | 5.33 |
| | 55-मकान किराया भत्ता | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| | 58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान | 100.00 | 28.33 | 71.67 |
| | योग 06 | 167.42 | 50.80 | 116.62 |
| 5 | लेखाशीर्ष (13 अंको में) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-07-नेत्रहीन, मूक, बधिर तथा शारीरिक रूप से दिव्यांगों को उनके भरण-पोषण हेतु अनुदान (2235 02 101 07 00) | | | |
| | 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) | 100000.00 | 22533.33 | 77466.67 |
| 6 | लेखाशीर्ष (13 अंको में) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-08-दक्ष विकलांग कर्मचारियों एवं उनके सेवायोजकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार (2235 02 101 08 00) | | | |
| | 04-यात्रा व्यय | 0.50 | 0.17 | 0.33 |
| | 42-अन्य व्यय | 12.00 | 4.00 | 8.00 |
| | योग 08 | 12.50 | 4.17 | 8.33 |
| 7 | लेखाशीर्ष (13 अंको में) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-09-विकलांगों को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान करने हेतु उ०प्र० राज्य परिवहन निगम को प्रतिपूर्ति (2235 02 101 09 00) | | | |
| | 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) | 3000.00 | 666.67 | 2333.33 |
| 8 | लेखाशीर्ष (13 अंको में) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-10-विकलांगों को उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा व्यय के अवशेष धनराशि की प्रतिपूर्ति (2235 02 101 10 00) | | | |
| | 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) | 1000.00 | 666.67 | 333.33 |

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

| | | | | |
|----|--|---------|--------|---------|
| 9 | लेखाशीर्ष (13 अंको में) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-12-डिस्लेक्सिया व अटेंशन डैफिसिट एण्ड हाइपर एक्टिविटी सिन्ड्रोम से प्रभावित बच्चों की पहचान हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षण (2235 02 101 12 00) | | | |
| | 42-अन्य व्यय | 20.00 | 6.67 | 13.33 |
| 10 | लेखाशीर्ष (13 अंको में) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-13-शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण योजना (2235 02 101 13 00) | | | |
| | 42-अन्य व्यय | 26.51 | 8.84 | 17.67 |
| 11 | लेखाशीर्ष (13 अंको में) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-14-विभिन्न श्रेणी के दिव्यांगों के लिए राजकीय विद्यालयों/छात्रावासों का संचालन (2235 02 101 14 00) | | | |
| | 01-वेतन | 1672.79 | 557.60 | 1115.19 |
| | 02-मजदूरी | 22.00 | 7.33 | 14.67 |
| | 03-महंगाई भत्ता | 618.93 | 206.31 | 412.62 |
| | 04-यात्रा व्यय | 2.75 | 0.92 | 1.83 |
| | 05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय | 2.00 | 0.67 | 1.33 |
| | 06-अन्य भत्ते | 29.73 | 9.91 | 19.82 |
| | 07-मानदेय | 5.00 | 1.67 | 3.33 |
| | 08-कार्यालय व्यय | 18.00 | 6.00 | 12.00 |
| | 09-विद्युत देय | 100.00 | 33.33 | 66.67 |
| | 10-जलकर/जल प्रभार | 2.70 | 0.90 | 1.80 |
| | 11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई | 4.50 | 1.50 | 3.00 |
| | 12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 45.00 | 15.00 | 30.00 |
| | 13-टेलीफोन पर व्यय | 5.00 | 1.67 | 3.33 |
| | 15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद | 9.00 | 3.00 | 6.00 |
| | 16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान | 1.50 | 0.50 | 1.00 |
| | 17-किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व | 2.15 | 0.72 | 1.43 |
| | 18-प्रकाशन | 1.15 | 0.38 | 0.77 |
| | 21-छात्रवृत्तियाँ और छात्र वेतन | 200.00 | 66.67 | 133.33 |
| | 29-अनुरक्षण | 200.00 | 66.67 | 133.33 |

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

| | | | | |
|----|--|---------|---------|----------|
| | 39-औषधि तथा रसायन | 2.90 | 0.97 | 1.93 |
| | 42-अन्य व्यय | 10.00 | 3.33 | 6.67 |
| | 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति | 25.00 | 8.33 | 16.67 |
| | 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय | 1.00 | 0.33 | 0.67 |
| | 45-अवकाश यात्रा व्यय | 1.55 | 0.52 | 1.03 |
| | 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय | 45.00 | 15.00 | 30.00 |
| | 47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय | 6.00 | 2.00 | 4.00 |
| | 49-चिकित्सा व्यय | 6.00 | 2.00 | 4.00 |
| | 51-वर्दी व्यय | 0.20 | 0.07 | 0.13 |
| | 55-मकान किराया भत्ता | 98.00 | 32.67 | 65.33 |
| | 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान | 240.00 | 80.00 | 160.00 |
| | योग 14 | 3377.85 | 1125.97 | 2251.88 |
| 12 | लेखाशीर्ष (13 अंको में) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-16-समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों का संचालन (2235 02 101 16 00) | | | |
| | 01-वेतन | 127.00 | 88.41 | 38.59 |
| | 02-मजदूरी | 16.00 | 2.00 | 14.00 |
| | 03-महंगाई भत्ता | 40.00 | 32.71 | 7.29 |
| | 04-यात्रा व्यय | 1.05 | 0.35 | 0.70 |
| | 05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय | 0.50 | 0.03 | 0.47 |
| | 06-अन्य भत्ते | 8.91 | 2.97 | 5.94 |
| | 07-मानदेय | 1.00 | 0.50 | 0.50 |
| | 08-कार्यालय व्यय | 2.00 | 3.33 | (-) 1.33 |
| | 09-विद्युत देय | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
| | 10-जलकर/जल प्रभार | 1.00 | 0.45 | 0.55 |
| | 11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई | 1.00 | 0.83 | 0.17 |
| | 12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 20.00 | 7.50 | 12.50 |
| | 13-टेलीफोन पर व्यय | 3.00 | 1.00 | 2.00 |
| | 15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद | 30.00 | 10.00 | 20.00 |

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

| | | | | |
|----|---|---------------|---------------|---------------|
| | 16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान | 0.75 | 0.25 | 0.50 |
| | 18-प्रकाशन | 0.40 | 0.13 | 0.27 |
| | 29-अनुरक्षण | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| | 39-औषधि तथा रसायन | 1.02 | 0.34 | 0.68 |
| | 42-अन्य व्यय | 4.90 | 1.63 | 3.27 |
| | 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति | 12.25 | 4.08 | 8.17 |
| | 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय | 0.35 | 0.12 | 0.23 |
| | 45-अवकाश यात्रा व्यय | 0.10 | 0.03 | 0.07 |
| | 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय | 10.00 | 5.25 | 4.75 |
| | 47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय | 2.00 | 0.82 | 1.18 |
| | 49-चिकित्सा व्यय | 0.50 | 0.70 | (-) 0.20 |
| | 51-वर्दी व्यय | 0.07 | 0.02 | 0.05 |
| | 55-मकान किराया भत्ता | 10.00 | 8.33 | 1.67 |
| | 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान | 90.00 | 27.42 | 62.58 |
| | योग 16 | 443.80 | 215.87 | 227.93 |
| 13 | लेखाशीर्ष (13 अंको में) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-17-राजकीय दृष्टिबाधित विद्यालय मोहान रोड के अन्तर्गत दृष्टिबाधितार्थ अध्यापकों हेतु प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना (2235 02 101 17 00) | | | |
| | 42-अन्य व्यय | 4.00 | 1.33 | 2.67 |
| 14 | लेखाशीर्ष (13 अंको में) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-18-"सिपडा" योजनान्तर्गत सार्वजनिक/विभागीय भवनों में दिव्यांगजन हेतु बाधारहित वातावरण तथा विभागीय वेब-साइटों को दिव्यांगजन के हितार्थ बनाया जाना (2235 02 101 18 00) | | | |
| | 42-अन्य व्यय | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 15 | लेखाशीर्ष (13 अंको में) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-19-"सुगम्य भारत अभियान" योजनान्तर्गत चिन्हित शासकीय एवं जन उपयोगी भवनों का एक्सेस ऑडिट तथा विभिन्न विभागों की वेबसाइटों को दिव्यांगजन के हितार्थ बनाया जाना (2235 02 101 19 00) | | | |
| | 42-अन्य व्यय | 20.00 | 3.33 | 16.67 |
| 16 | लेखाशीर्ष (13 अंको में) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-20-शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को मोटराईज्ड ट्राईसाइकिल योजना | | | |

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

| (2235 02 101 20 00) | | | | |
|---------------------|--|---------|------|---------|
| | 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) | 3256.00 | 0.00 | 3256.00 |
| 17 | लेखाशीर्ष (13 अंको में) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-22-लखनऊ में ब्रेल प्रेस की स्थापना (2235 02 101 22 00) | | | |
| | 01-वेतन | 1.65 | 0.55 | 1.10 |
| | 03-मॅहगाई भत्ता | 0.61 | 0.20 | 0.41 |
| | 06-अन्य भत्ते | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| | 08-कार्यालय व्यय | 0.75 | 0.25 | 0.50 |
| | 09-विद्युत देय | 3.00 | 1.00 | 2.00 |
| | 11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई | 8.00 | 2.67 | 5.33 |
| | 12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 0.50 | 0.17 | 0.33 |
| | 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र | 3.00 | 1.00 | 2.00 |
| | 42-अन्य व्यय | 2.00 | 0.67 | 1.33 |
| | 55-मकान किराया भत्ता | 0.30 | 0.10 | 0.20 |
| | 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान | 3.40 | 1.13 | 2.27 |
| | योग 22 | 23.23 | 7.75 | 15.48 |
| 18 | लेखाशीर्ष (13 अंको में) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-25-कौशल विकास केन्द्र की स्थापना (2235 02 101 25 00) | | | |
| | 04-यात्रा व्यय | 0.20 | 0.07 | 0.13 |
| | 07-मानदेय | 20.00 | 6.67 | 13.33 |
| | 08-कार्यालय व्यय | 0.90 | 0.30 | 0.60 |
| | 09-विद्युत देय | 1.25 | 0.42 | 0.83 |
| | 10-जलकर/जल प्रभार | 0.04 | 0.01 | 0.03 |
| | 11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई | 0.50 | 0.17 | 0.33 |
| | 12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 1.00 | 0.33 | 0.67 |
| | 13-टेलीफोन पर व्यय | 0.30 | 0.10 | 0.20 |
| | 17-किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व | 3.60 | 1.20 | 2.40 |
| | 42-अन्य व्यय | 0.47 | 0.16 | 0.31 |
| | 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति | 1.75 | 0.58 | 1.17 |
| | 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय | 0.60 | 0.17 | 0.43 |
| | 47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी | 0.40 | 0.12 | 0.28 |

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

| | का क्रय | | | |
|----|--|-------|-------|-------|
| | योग 25 | 31.01 | 10.30 | 20.71 |
| 19 | लेखाशीर्ष (13 अंको में) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-26-अमरावती पुरुषोत्तम बहुउद्देशीय विकलांग विकास संस्थान, वाराणसी (2235 02 101 26 00) | | | |
| | 04-यात्रा व्यय | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| | 07-मानदेय | 1.00 | 0.33 | 0.67 |
| | 09-विद्युत देय | 4.00 | 1.33 | 2.67 |
| | 10-जलकर/जल प्रभार | 0.10 | 0.03 | 0.07 |
| | 12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 1.50 | 0.50 | 1.00 |
| | 15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद | 1.00 | 0.67 | 0.33 |
| | 21-छात्रवृत्तियाँ और छात्रवेतन | 5.00 | 1.67 | 3.33 |
| | 29-अनुरक्षण | 5.00 | 1.00 | 4.00 |
| | 42-अन्य व्यय | 0.50 | 0.17 | 0.33 |
| | 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति | 1.00 | 0.33 | 0.67 |
| | 47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय | 0.50 | 0.17 | 0.33 |
| | 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान | 30.00 | 8.33 | 21.67 |
| | योग 26 | 49.61 | 14.53 | 35.08 |
| 20 | लेखाशीर्ष (13 अंको में) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-27-मानसिक मंदित बच्चों/विकलांग जन हेतु मनोविकास केन्द्र (2235 02 101 27 00) | | | |
| | 04-यात्रा व्यय | 0.30 | 0.10 | 0.20 |
| | 07-मानदेय | 0.10 | 0.03 | 0.07 |
| | 08-कार्यालय व्यय | 0.30 | 0.10 | 0.20 |
| | 09-विद्युत देय | 0.75 | 0.25 | 0.50 |
| | 11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई | 0.30 | 0.10 | 0.20 |
| | 12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 0.15 | 0.05 | 0.10 |
| | 13-टेलीफोन पर व्यय | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| | 17-किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| | 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र | 4.00 | 1.33 | 2.67 |

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

| | | | | |
|----|---|-----------|----------|----------|
| | 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति | 0.75 | 0.25 | 0.50 |
| | 47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय | 0.50 | 0.17 | 0.33 |
| | 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान | 30.00 | 8.33 | 21.67 |
| | योग 27 | 37.17 | 10.71 | 26.46 |
| 21 | लेखाशीर्ष (13 अंको में) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-31-बचपन, नर्सरी स्कूलों का संचालन (2235 02 101 31 00) | | | |
| | 09-विद्युत देय | 6.77 | 2.26 | 4.51 |
| | 39-औषधि तथा रसायन | 1.00 | 0.33 | 0.67 |
| | 41-भोजन व्यय | 49.50 | 16.50 | 33.00 |
| | 42-अन्य व्यय | 810.00 | 270.00 | 540.00 |
| | योग 31 | 867.27 | 289.09 | 578.18 |
| 22 | लेखाशीर्ष (13 अंको में) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-32-कुष्ठावस्था विकलांग भरण-पोषण अनुदान (2235 02 101 32 00) | | | |
| | 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) | 3950.00 | 1300.00 | 2650.00 |
| 23 | लेखाशीर्ष (13 अंको में) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-34-विशेष विद्यालयों में विकलांग विद्यार्थियों को गुणवत्तापरक विशेष शिक्षा (2235 02 101 34 00) | | | |
| | 42-अन्य व्यय | 85.00 | 28.33 | 56.67 |
| 24 | लेखाशीर्ष (13 अंको में) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-37-दिव्यांगता पर गठित राज्य सलाहकार बोर्ड की बैठक से संबंधित व्यय हेतु (2235 02 101 37 00) | | | |
| | 42-अन्य व्यय | 2.35 | 0.78 | 1.57 |
| 25 | लेखाशीर्ष (13 अंको में) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-03 शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्तियों द्वारा विकलांग से शादी करने पर प्रोत्साहन पुरस्कार (2235 02 800 03 00) | | | |
| | 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) | 264.00 | 88.00 | 176.00 |
| | अनुदान संख्या-79 का योग | 123398.69 | 29286.81 | 94111.88 |

(रूपये नौ अरब इक्तालिस करोड़ ग्यारह लाख अठ्ठासी हजार मात्र)

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

अनुदान संख्या-81

(धनराशि रू0 लाख में)

| क्र.सं. | मद का नाम | बजट प्रावधान 2022-23 | लेखानुदान के दृष्टिगत शासनादेश दिनांक 11.04.2022 द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि | बजट प्रावधान के सापेक्ष निर्गत की जा रही अवशेष धनराशि |
|---------|--|-------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | लेखाशीर्ष (13 अंको में) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-05-नेत्रहीन, मूकबधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को उनके भरण-पोषण हेतु अनुदान (जिला योजना) (2235 02 796 05 00) | | | |
| | 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) | 2.00 | 0.67 | 1.33 |
| | अनुदान संख्या-81 योग | 2.00 | 0.67 | 1.33 |

(रूपये एक लाख तैंतीस हजार मात्र)

अनुदान संख्या-83

(धनराशि रू0 लाख में)

| क्र.सं. | मद का नाम | बजट प्रावधान 2022-23 | लेखानुदान के दृष्टिगत शासनादेश दिनांक 11.04.2022 द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि | बजट प्रावधान के सापेक्ष निर्गत की जा रही अवशेष धनराशि |
|---------|--|-------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | लेखाशीर्ष (13 अंको में) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-03-नेत्रहीन, मूकबधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को उनके भरण-पोषण हेतु अनुदान (जिला योजना) (2235 02 789 03 00) | | | |
| | 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) | 900.00 | 300.00 | 600.00 |
| 2 | लेखाशीर्ष (13 अंको में) 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-08-शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग, श्रवण सहायक यंत्र क्रय हेतु सहायता (2235 02 789 08 00) | | | |
| | 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) | 240.00 | 80.00 | 160.00 |
| | अनुदान संख्या-83 का योग | 1140.00 | 380.00 | 760.00 |

(रूपये सात करोड़ साठ लाख मात्र)

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

4. शर्तें / प्रतिबन्ध:-

- (1) स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत नियमों के अधीन किया जाएगा।
- (2) धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जाएगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/पोस्ट आफिस में नहीं रखा जाएगा।
- (3) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
- (4) योजना हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों/गाइडलाइन का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (5) उक्त स्वीकृत धनराशि को व्ययकिये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मित्त्वयिता संबंधी शासनादेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (6) उक्त धनराशि से संबंधित व्यय के उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के पैरा 369 एच के अनुसार शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाये। इस अनुदान का लेखा सम्परीक्षा कराकर आडिट रिपोर्ट भी शासन को तत्समय उपलब्ध करा दी जाये।
- (7) उपर्युक्त धनराशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि जिन मदों में व्यय से पूर्व शासन की स्वीकृति आवश्यक हो, उनसे संबंधित प्रस्ताव शासन को भेजे जायेगे और शासन की स्वीकृति के उपरान्त ही धनराशि व्यय की जायेगी।
- (8) वित्त विभाग के शासनादेशों एवं इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं निदेशालय में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी/वित्तीय सलाहकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- (9) धनराशि के आहरण/व्यय एवं अन्य कार्यावाहियों में वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07.06.2022 में दी गयी शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (10) शासनादेश संख्या-50/2022/II/155262/2022/001-65-2002-002-2-2022-2 दिनांक 11 अप्रैल, 2022 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

5. उपरोक्तानुसार निर्गत की जा रही स्वीकृतियों के सापेक्ष होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-79 के लेखाशीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण के अन्तर्गत सुसंगत मदों के नामे डाला जायेगा।

6. यह आदेश वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07.06.2022 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

अजीत कुमार,

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या/दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
- 2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज ।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 4- राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उ0प्र0 लखनऊ ।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3।
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अजीत कुमार,
विशेष सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।